

सं. NER-HQOPERS(SELB)/11/2020-SPO GAZETTED(7484)

1. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/अपर महाप्रबन्धक/पूउरे/गोरखपुर।
2. सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष।
3. सभी मरेप्र/वर्मकाधि/मकाधि/वर्मपरिप्र/वर्मवाप्र/वर्मविप्र/वर्मयाई/वर्मसिदूई/वर्मविई/वर्मई/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
4. सभी मंडलेतर इकाईया एवं मुकाप्र/काकाधि/कारखाना/गोरखपुर एवं इज्जतनगर।
5. चि०नि०/लनामिरेचि/गोरखपुर एवं वर्मयाई/डीजल शेड/वर्मविई/गोण्डा, इज्जतनगर।
6. उपमुकाधि/मुख्या/वकाधि/आरपी/सचिव/प्रमुकाधि, सचिव/प्रविस/गोरखपुर।
7. प्रविस/उपमुसाप्र/निर्माण, सचिव/मुप्राधि/निर्माण, प्रमुवाप्र/प्रमुपरिप्र/गोरखपुर।
8. उपमुई/गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर एवं वकाधि/निर्माण एवं चीफ कैशियर/गोरखपुर।
9. सकाधि/पुल कार/सिग कार/गोरखपुर छावनी, सकाधि/प्रेस एवं डिपो।
10. सभी कार्मिक अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर एवं सकाधि/मुख्या-। एवं 11/गोरखपुर।
11. विधि अधिकारी, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्य कुशलता अधिकारी/जॉच अधिकारी/गोरखपुर।
12. मुसुआ/अपर निबन्धक/रेल दावा अधिकरण एवं प्रधानाचार्य/एमएसटीसी/पूउरे/गोरखपुर।
13. महाप्रबन्धक/आर ई/इलाहाबाद एवं डी एल डब्लू/वाराणसी।
14. अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड/गोरखपुर एवं अध्यक्ष/आरआरसी/गोरखपुर।
15. सचिव/स्थापना/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
16. मुख्य संरक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
17. महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाये/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
18. रेलवे वेबसाईट प्रति।

विषय:- निजी सचिव-1, ग्रुप-बी, 100 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध चयन के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग में निजी सचिव-1 (ग्रुप-बी), लेवल-08 के 100 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध 10 पदों (अनारक्षित-10) हेतु लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर चयन कराने का निर्णय लिया गया है।

1. पात्रता:-

कार्मिक विभाग की वरीयता सूची में शामिल निजी सचिव-1 (समूह-ग) जिन्होंने दिनांक 01.01.2023 को 02 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी कर ली हैं, निजी सचिव-1 (ग्रुप-बी), लेवल-08 पद के चयन के लिए सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों की इण्टीग्रेटेड वरीयता सूची से 19 (उन्नीस) वरिष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता सूची-'क' के रूप में संलग्न है। वरीयता सूची में रिक्तियों के तीन गुणा कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारणमात्र 19 (उन्नीस) अभ्यर्थियों की सूची जारी की गयी है। पात्रता निर्धारण हेतु कट आफ डेट 01.01.2023 है।

2. विकल्प प्राप्ति की अंतिम तिथि:-

नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि अनुलग्नक-'क' में उल्लिखित उम्मीदवारों को उपर्युक्त चयन की सूचना से अवगत करा दें एवं यह भी निर्देश दे दें कि इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी अनुलग्नक-'ख' में दिये गये प्रपत्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपनी इच्छा/अनिच्छा लिखित रूप से हस्ताक्षरित करके नियंत्रक अधिकारी से अग्रसारित कराकर सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी को दिनांक 06.06.2023 तक अवश्य दे देंगे। अपूर्ण एवं गलत सूचना वाले आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी आवेदन में भरे गये सेवा विवरण को सत्यापित कर अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 13.06.2023 तक अवश्य प्राप्त करा देंगे।

सूची-'क' में उल्लिखित अभ्यर्थी यदि अवकाश, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति पर हों तो नियंत्रक अधिकारी, कृपया यह सूचना उन्हें पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से उनके वर्तमान पते पर भेजवा दें तथा इस कार्यालय को भी सूचित करें। उपर्युक्त परीक्षा के संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक अपनी इच्छा/अनिच्छा भेजवाने के लिए निर्देश भी दोहरा दें।



क्रमशः—2/-

4. चयन प्रक्रिया-

a. उपरोक्त चयन रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई (जीपी) 2018/2/31 दिनांक 19.03.2019 & ई (जीपी) 2022/2/4 दिनांक 07.10.2022 में निहित निर्देशानुसार सम्पन्न कराया जायेगा। लिखित परीक्षा, सेवा अभिलेख एवं मौखिक परीक्षा के अंको का आवंटन निम्नवत है -

क्र.सं.	प्रश्न पत्र का विषय	पूर्णांक	अर्हक अंक
1	तकनीकी विषय एवं राजभाषा नीति/ नियम के 10 अंकों का वैकल्पिक प्रश्न	70	60
2	स्थापना एवं वित्तीय नियम	30	
3	मौखिक परीक्षा	25	30 (इसमें सेवा अभिलेख में कम से कम 15 अंक प्राप्त होना आवश्यक है)
4	सेवा अभिलेख	25	

b. तदनुसार लिखित परीक्षा में 100 अंको का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रतिशत केवल वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। गलत जबाबों के नकारात्मक अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जायेगा।

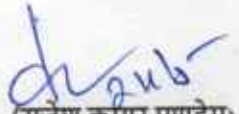
5. चयन पूर्व प्रशिक्षण:- चयन पूर्व प्रशिक्षण नहीं दिया जाना है।

6. अनुपस्थिति लिखित परीक्षा:- सामान्य रूप से अनुपस्थिति लिखित परीक्षा कराने का कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने पर एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदन पर अभ्यर्थी को अनुपस्थिति लिखित परीक्षा में बुलाया जा सकता है। पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने का तात्पर्य यह है कि अनुपूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल रेलवे चिकित्सा अधिकारी का विशिष्ट प्रमाण पत्र एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि उन्हें प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि पर कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है, मान्य होगा। अनुपस्थित लिखित परीक्षा में बैठने की सूचना लिखित परीक्षा के 07 दिन के अन्दर नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उपमुकाधि/राज0 के कार्यालय में भेजने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

उपर्युक्त चयन हेतु लिखित/मौखिक परीक्षा की तिथि की सूचना अल्प अवधि में किसी भी समय दी जा सकती है। अतः इस अधिसूचना को परीक्षा हेतु तैयार रहने की पूर्व सूचना समझी जाये। इस सूचना की एक प्रति सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाये। इस अधिसूचना के साथ वरीयता सूची-'क' अनुलग्नक-'ख' (प्रोफार्मा) एवं अनुलग्नक 'ग' (पाठ्यक्रम) संलग्न है।

कृपया इसे सभी अभ्यर्थियों के नोटिस में अवश्य ला दिया जायें।

संलग्नक/यथोपरि।


(राजेश कुमार पाण्डेय)
सकाधि/राज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

सूची-क
निजी सचिव-I (ग्रुप-बी) 100 प्रतिशत कोटा के विरुद्ध चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पात्र अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	कर्मचारी का नाम (सर्वश्री/ श्रीमती)	पदनाम	कार्यस्थल
1	सुभाष चन्द्र	निजी सचिव-II	विसमुलेधि/गोरखपुर
2	छोटेलाल	निजी सचिव-II	मुवाप्र/ गोरखपुर
3	दयानन्द उराँव	निजी सचिव-II	प्रमुयाई/ गोरखपुर
4	सुरेन्द्र पाल	निजी सचिव-II	प्रबंध/ लखनऊ
5	लाल चन्द	निजी सचिव-II	प्रबंध/ लखनऊ
6	सुनील कुमार	निजी सचिव-II	मुकाप्र/यात्रिक/गोरखपुर
7	लाल सिंह	निजी सचिव-II	डिपो/इज्जतनगर
8	सुशील कान्त सिंह	निजी सचिव-II	प्रबंध/ वाराणसी
9	महेंद्र सिंह	निजी सचिव-II	प्रबंध/ वाराणसी
10	मनेजर यादव	निजी सचिव-II	प्रबंध/ वाराणसी
11	मधुसुदन	निजी सचिव-II	निर्माण/ गोरखपुर
12	श्यामबिहारी	निजी सचिव-II	मुकाप्र/यात्रिक/गोरखपुर
13	रामप्रताप सिंह	निजी सचिव-II	महाप्रबंधक कार्यालय/ गोरखपुर
14	रवि शंकर सिंह	निजी सचिव-II	विसमुलेधि/गोरखपुर
15	देवता प्रसाद तिवारी	निजी सचिव-II	मुख्य जन संपर्क अधिकारी/ गोरखपुर
16	डी. के. कन्नौजिया	निजी सचिव-II	मुई/ गोरखपुर
17	ललन सिंह	निजी सचिव-II	विसमुलेधि/गोरखपुर
18	निवास बाबु सक्सेना	निजी सचिव-II	प्रबंध/ इज्जतनगर
19	साबिर अली	निजी सचिव-II	मुकाप्र/ यांत्रिक कारखाना/ इज्जतनगर


24/5

सेवा में,

महाप्रबन्धक/कार्मिक

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय:- ग्रुप-बी, 100 प्रतिशत चयन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- File No: NER-HQ0PERS(SELB)/11/2020-SPO GAZETTED दिनांक 24.05.2023]

महोदय,

मै पुत्र

पदनाम पी एफ नं० स्टेशन

नियुक्ति स्थान जन्मतिथि सेवानिवृत्ति तिथि

. मोबाईल नं० आपके उपरोक्त अधिसूचना की पावती स्वीकार करता हूँ -

1. मै उपरोक्त चयन में भाग लेने हेतु इच्छुक हूँ/इच्छुक नहीं हूँ (स्पष्ट लिखित रूप से दें)।

2. क- मै विवाहित हूँ और मेरी एक जीवित पति/पत्नी है।

ख- मै अविवाहित/विधुर हूँ।

ग- मैने अपने पति/पत्नी के रहते हुए अन्य विवाह किया है। छूट के लिए आवेदन पत्र संलग्न है।

घ- मेरी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता है।

3. वर्तमान पद/ग्रेड पे में नियमित नियुक्ति तिथि

मै शपथ लेकर कहता हूँ कि उपरोक्त घोषणा पूर्णतः सत्य है। मै यह जानता हूँ कि उपरोक्त घोषणा असत्य सिद्ध होने पर मेरी पदोन्नति के पश्चात ग्रुप-बी सेवा से पदावनत कर दिया जाऊँगा।

दिनांक:-

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम	 (अभ्यर्थी का हस्ताक्षर) सूची-'क' में क्रम संख्या
---	--

कैंडर नियंत्रक कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

**SYLLABUS FOR THE WRITTEN TEST FOR SELECTION FOR PROMOTION TO THE POST OF
PRIVATE SECRETARY-1 (LEVEL-08)**

Total Marks– 100

Time-02 Hrs

Qualifying Marks–60

1. Maintenance of records, Service Book, Personal Files etc.
2. Office Procedure– Receipt and Despatch, Docketing, Noting and drafting.
3. Writing and Maintenance of Confidential Reports.
4. Monitoring and Disposal of VIP reference from Ministers, MPs, MLAs etc.
5. Grievance handling Machinery and Redressal of Grievances.
6. Official Language Policy and Rules.
7. Leave Rules.
8. Classification of Services.
9. Pay scales and principles of pay fixation.
10. Recruitment Policy
11. Rules of Reservation for SC/ST/OBC
12. Compassionate Appointment
13. Policy of Promotion.
14. Types of Pay, types of allowances, TA Rules.
15. Pass Rules.
16. Various types of Advances and their eligibility conditions.
17. Training of Officers and Staff, Training Institutes, Zonal Training Schools.
18. Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, Railway Service Conduct Rules, Schedule of Disciplinary Powers.
19. Schedule of Powers in Establishment matters.
20. Staff Welfare – Staff Benefit Fund, Consumer Cooperative Societies, Medical Assistance, Educational Assistance, Housing etc.
21. Retirement benefits under SRPF and Pension Rules.
